पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 ई0 (अग्रहायण 29, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

दिसम्बर 08, 2014

सं0 F-9(22)(I)/RG/UERC/2014/1694 : उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की सपठित धारा 43, 45, 46 एंव 47 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एचटी व ईएचटी संयोजनो का जारी करना, भार में वृद्धि एंव कमी) विनियम, 2008 विनियम, (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्णय**

   (1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एचटी व ईएचटी संयोजनो का जारी करना, भार में वृद्धि एंव कमी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014 होगा।

   (2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **मुख्य विनियम के विनियम 3(3) में:**

   मुख्य विनियम 3 के उप–विनियम 3 के द्वितीय परन्तुक के बाद निम्न जोड़ा जायेगा;

   "परन्तु आगे यह भी द्वितीय परन्तुक में उल्लेखित मौजूदा स्टील इकाईयों, जिनका कि संयोजन 11 KV पर है, को अपना भार बढाने की अनुमति दी जायेगी, ऐसी वृद्धि के पश्चात् उनका अनुबन्धित भार 1000 KVA से अधिक नहीं होगा।"

3. मुख्य विनियम के विनियम 9(1) में:

मुख्य विनियम 9 का उप–विनियम 1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा:

"उपभोक्ता किसी भी समय अपने संविदाकृत भार में वृद्धि कर सकते है, किन्तु अनुबन्धित भार में कमी की अनुमति वित्तीय वर्ष में केवल एक बार दी जायेगी"।

4. मुख्य विनियम के विनियम 9(6) में:

मुख्य विनियम 9 के उप–विनियम 6 के उपरान्त निम्न परन्तुक जोड़े जायेगा:

"परन्तु विनियम 9(5) में विनिर्दिष्ट संविदाकृत भार में वृद्धि अथवा कमी के लिए पुराने टर्मिनल उपस्कर को निकालने और नये उपस्कर को स्थापित करने का कार्य प्रभार, नये उपस्कर की आँकलित लागत एवं श्रम प्रभार, जो कि नये उपस्कर की लागत के 10 प्रतिशत के समतुल्य होगा, के आधार पर देय होगा परन्तु इसकी अधिकतम सीमा सारणी–1 में इंगित सभी उपस्करों की कार्य प्रभार राशि के बराबर होगी एवं इस प्रभार को निकाले गये पुराने उपस्कर की अवक्षयित लागत से कम किया जायेगा, यदि उपभोक्ता ने इस उपस्कर की लागत पूर्व में वहन की हो और अनुज्ञापी इनको पुनः उपयोग कर सकता है।

परन्तु निकाले गये उपस्कर की अवक्षयित लागत अनुज्ञापी के नवीनतम संप्रेक्षित लेखों के अनुरूप ली जायेगी।

परन्तु आगे यह भी, कि इस प्रकार के प्रभारों का समायोजन विनियम 5(10) के अनुरूप डिमांड नोट पर जारी किया जायेगा"।